

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 701]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/7181/एफ-02-50/कृ. क. परि./2020/14-2. — सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं प्रथम हरितक्रांति के प्रणेता प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य सरकारों से राज्य किसान आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी. चूंकि “जय किसान-राष्ट्रीय कृषक नीति” को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के दल द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2006 को छत्तीसगढ़ के कृषकों, कृषक संगठनों, वैज्ञानिकों व वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई एवं इस परिचर्चा के दौरान राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा किसान आयोग को सुदृढ़ करने के लिए निचले स्तर तक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है “जो विभिन्न स्तरों पर कृषकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ज्ञात कर उसके निराकरण के लिए उपयुक्त सुझाव दे सके एवं नियमित अध्ययन करता रहे.”

2/ उपरोक्त के परिपेक्ष्य में पूर्व में विभाग के पत्र क्र./3926/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2 दिनांक 29-09-2007 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् के गठन संबंधी जारी अधिसूचना एवं विभाग के पत्र क्रमांक 2051/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2 दिनांक 12-05-2008 द्वारा एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष (अशासकीय) का प्रावधान संबंधी जारी अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्” का पुनर्गठन करती है, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्,

(अ) अध्यक्ष

शासन द्वारा मनोनीत अशासकीय व्यक्ति

(ब) उपाध्यक्ष

शासन द्वारा मनोनीत दो उपाध्यक्ष अशासकीय व्यक्ति

(स) पदेन सदस्य (शासकीय अधिकारी)

1	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
2	सचिव राजस्व	सदस्य
3	सचिव वित्त	सदस्य
4	सचिव ऊर्जा	सदस्य
5	सचिव जल संसाधन	सदस्य
6	सचिव ग्रामीण विकास	सदस्य
7	सचिव आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	सदस्य
8	सचिव वन	सदस्य
9	सचिव सहकारिता	सदस्य
10	आयुक्त/संचालक कृषि	सदस्य
11	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
12	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	सदस्य
13	संचालक, मछलीपालन	सदस्य
14	संचालक, राज्य कृषि प्रबंधन, विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (समेती)	सदस्य

- | | | |
|----|--|------------|
| 15 | प्रबंध संचालक छ.ग.राज्य कृषि विपणन(मण्डी) बोर्ड | सदस्य |
| 16 | प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. | सदस्य |
| 17 | प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था | सदस्य |
| 18 | संचालक, विस्तार सेवाएं, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर | सदस्य |
| 19 | संचालक, अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर | सदस्य |
| 20 | संचालक, विस्तार सेवाएं, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग | सदस्य |
| 21 | संचालक, अनुसंधान सेवाएं, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग | सदस्य |
| 22 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर | सदस्य |
| 23 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जैव प्रौद्योगिकी प्रौन्नत सोसायटी रायपुर | सदस्य |
| 24 | सचिव कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी | सदस्य सचिव |

(द) नामांकित सदस्य:-

- (i) कृषक सदस्य:-कृषि एवं उससे जुड़े उद्यम अर्थात् उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं कृषि विपणन आदि क्षेत्रों से जुड़े तथा उसका व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला प्रत्येक क्षेत्र से राज्य शासन द्वारा नामांकित न्यूनतम एक कृषक, अधिकतम दस कृषक।

प्रगतिशील कृषक/उद्यमी		सदस्य संख्या	रिमार्क
1	कृषि	02	30 प्रतिशत महिला कृषक/उद्यमी सदस्यों का मनोनयन अनिवार्यतः किया जावेगा।
2	उद्यानिकी	02	
3	पशुधन	02	
4	डेयरी	02	
5	मछलीपालन	01	
6	कृषि विपणन	01	

- (iii) विषय विशेषज्ञ:- कृषि, बागवानी (उद्यानिकी), वानिकी, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछलीपालन, मौसम विज्ञान, बायोटेक्नालॉजी के क्षेत्र से राज्य स्तर के राज्य शासन द्वारा नामांकित एक-एक विषय विशेषज्ञ

राज्य कृषि/उद्यानिकी विश्वविद्यालय / कामधेनु विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ/ वैज्ञानिक सदस्य		सदस्य संख्या
1	कृषि	01
2	उद्यानिकी	01
3	पशुधन	01
4	डेयरी	01
5	मछलीपालन	01
6	कृषि विपणन	01
7	बायोटेक्नालॉजी	01

- (इ) मनोनीत/नामांकित/ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

2.2 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, का उत्तरदायित्व :-

- (1) परिषद, कृषि, उद्यानिकी पशुपालन, मछलीपालन एवं उससे जुड़े सम-सामयिक, एवं दीर्घकालिक विषयों पर विचार विमर्श का एक मंच रहेगा तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन एवं कृषक कल्याण से संबद्ध अन्य विषयों पर चर्चा करके शासन को यथोचित निर्णय लेने हेतु सुझाव/अनुशंसा देना।
- (2) परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित होंगी। अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

2.3 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद निम्नलिखित के संबंध में सुझाव तथा अनुशंसाएं दे सकेगी :-

- (1) प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए खेती को टिकाऊ एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना।
- (2) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कृषि नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना।
- (3) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन, लाख उत्पादन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु कृषि साख/कृषि ऋण की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना।
- (4) सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती के विकास, भूमि जल संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना।
- (5) बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर समस्या निवारण हेतु सुझाव देना।
- (6) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन, लाख उत्पादन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों से प्राप्त उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग तथा वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था एवं कृषि विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि को विकासोन्मुखी (प्रोग्रेसिव) बनाने के लिए सुझाव, अनुशंसाएं देना।
- (7) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन, लाख उत्पादन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कौशल उन्नयन प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना।
- (8) शिक्षित युवाओं को खेती में बनाये रखने व आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना और इस प्रयोजनार्थ मिश्रित खेती (Mixed Farming) एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS Model) को बढ़ावा देने एवं इसके संदर्भ में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धतियों की अनुशंसाएं देना।
- (9) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के प्रसार की वर्तमान व्यवस्था/संरचना/एक्सटेंशन रीफार्म्स (आत्मा) व अन्य राज्यों में इसके जैसी परिचालित अन्य समन्वित प्रसार व्यवस्थाओं का अध्ययन कर कृषि प्रसार तंत्र के सुदृढीकरण व किसानोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव देना।
- (10) स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के निराकरण हेतु कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने कृषको, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/सुझाव देना।

- (11) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में आदानों की अबाध आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संचालित व्यवस्था का अध्ययन कर सुधार हेतु सुझाव देना।
- (12) जैविक खेती को बढ़ावा देने संभावनायुक्त क्षेत्रों व फसलों की पहचान, जैविक प्रमाणीकरण व प्राप्त उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, निर्यात/विपणन पर अध्ययन कर सुझाव देना।
- (13) कमांड एरिया में विविधीकृत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को बढ़ावा देने आवश्यक सुझाव देना।
- (14) कृषि व ग्रामीण संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढीकरण व कृषि मजदूरों के पलायन की समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना।
- (15) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन के अन्तर्गत आवश्यक आदान वितरण एवं कृषि प्रसार में "कृषि स्नातकों" की भागीदारी पर सुझाव।
- (16) कृषि कार्यों में सहयोगी खेतीहर मजदूरों लोहार, बढ़ई, चर्मकार, शिल्पकार तथा कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले ग्राम स्तरीय तकनीशियनों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना।
- (17) प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं किसानों के बीच बेहतर समन्वय हेतु उपाय सुझाना ताकि शासकीय योजनाओं का कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।
- (18) राज्य शासन की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी को और अधिक प्रभावी तथा निर्मित गौठानों को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु सुझाव देना।
- (19) केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राज्य पोषित राजीव गाँधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना आदि का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अध्ययन कर इनके बेहतर क्रियान्वयन/ सरलीकरण हेतु सुझाव/अनुशंसाएं देना।
- (20) कृषि एवं समवर्गीय क्षेत्रों में कृषक उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक कम्पनी, कृषक अभिरुचि समूह आदि के गठन को प्रोत्साहित करने सुझाव एवं अनुसंशा देना।
- (21) परिषद् स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव दे सकेगी।

3/ कार्यकारिणी समिति का गठन:-

परिषद् के उपरोक्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु नियमित बैठकें आयोजित कर सम-सामयिक सुझाव, अनुसंशायें, कार्य-योजना एवं परिषद् की बैठकों का एजेण्डा तैयार करने हेतु परिषद् के अधीन एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जावेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

1	परिषद् के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के प्रतिनिधि	सदस्य
3	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के प्रतिनिधि	सदस्य
4	संचालक, मछली पालन के प्रतिनिधि	सदस्य
5	संचालक कृषि के प्रतिनिधि	सदस्य
6	परिषद् के नामांकित कृषक सदस्य	सदस्य
7	परिषद् के नामांकित विषय विशेषज्ञ/वैज्ञानिक	सदस्य
8	संयुक्त संचालक कृषि, छ.ग. राज्य कृषक कल्याण परिषद्	सदस्य सचिव

दायित्व :-

- (i) कार्यकारिणी समिति, कृषि, उद्यानिकी पशुपालन, मछलीपालन, लाख उत्पादन एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के सम-सामयिक एवं दीर्घकालिक विषयों पर विचार विमर्श कर परिषद् के समक्ष सुझाव/अनुशंसा/कार्ययोजना प्रस्तुत करना ।
 - (ii) परिषद् की बैठकों का एजेण्डा एवं एजेण्डा नोट तैयार करना ।
 - (iii) परिषद् के द्वारा दिये गये सुझावों/ अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना ।
 - (iv) कार्यकारिणी समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित होंगी । अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेंगी ।
- 4./ कृषक कल्याण परिषद् के संचालन के लिये पृथक कार्यालय भवन, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में होगा ।
- 5./ परिषद् के मनोनीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कृषक सदस्यों को समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये वित्त निर्देशों के अनुरूप मानदेय, दैनिक भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों को परिषद् की बैठक में भाग लेने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी । उक्त व्ययों की प्रति-पूर्ति एवं परिषद् के बैठक आयोजन में होने वाले सामान्य खर्चों आदि के लिये परिषद् का प्रतिवर्ष एक निर्धारित बजट प्रावधान संचालनालय कृषि के माध्यम से कराना होगा ।
- 6./ छ.ग. राज्य कृषक कल्याण परिषद् के कार्यों के सुचारु रूप से संपादन, परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय तथा की जा रही मैदानी कार्यवाहियों के अनुश्रवण के लिये वित्त विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत अमलों का सेट-अप यथावत रहेगा ।
- 7./ परिषद् के संचालन हेतु नियमावली कृषक कल्याण परिषद् द्वारा तैयार कर प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा ।
- 8./ छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.